कार्यवाही विवरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की समीक्षा बैठक
दिनांक 13–14 जुलाई 2015
(स्थान – इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 13–14 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित की गई। सर्व प्रथम बैठक में प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.रा.विभाग द्वारा मा0 मंत्री महोदय का स्वागत कर विभाग की संरचना तथा योजनाओं की जानकारी दी गयी।

माननीय मंत्री महोदय के उद्‌बोधन के पश्चात अति0 सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिव ग्रा.वि., आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा बैठक में निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

सामाजिक अंकेक्षण

श्री आर. सुब्रह्मण्यम्, अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ने अनियमितताओं के निराकरण एवं वसूली की समयबद्व कार्यवाही करवाये जाने हेतु निर्देशित किया।

उपस्थित सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिये –

1. बीआरपी/वीआरपी को समय पर भुगतान दिया जाये।
2. प्रपत्र 6 की रसीद आवश्यक रूप से दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. इन्दिरा आवास योजना में किश्तों का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित हो।
4. मजदूरों को भुगतान समय पर किया जाये।
5. मजदूरों के जॉबकार्ड में अनिवार्य पूर्तियां समय पर की जावे आदि।

महात्मा गांधी नरेगा

1. **मानव दिवस सृजन–** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेबर बजट के अनुसार माह जून, 2015 तक के अनुमोदित लक्ष्य के विरूद्व राज्य में मात्र 62.4 प्रतिशत मानव दिवस सृजित हुये है। इनमें **कम मानव दिवस सृजन वाले जिले–** बाडमेर (37%), डूंगरपुर(44%), भीलवाडा(45%), सवाई

माधोपुर (45%), जयपुर (48%), प्रतापगढ़(48%) बांरा(49%) कम प्रगति वाले समस्त जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष प्रयास करते हुए पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति करें

2. **विलम्बित मजदूरी भुगतान–** मस्टररोल बन्द होने की दिनांक से 15 दिन में श्रमिकों को भुगतान करने का प्रावधान है, परन्तु श्रमिकों को की गई कुल भुगतान राशि का राज्य औसत 51 प्रतिशत विलम्ब से हुआ है।

   अधिक विलम्ब वाले जिले– बांसवाडा (81%), करौली (67%), प्रतापगढ (66%), सवाईमाधोपुर(64%),जालौर (63%), राजसमंद (63%), जोधपुर (62%), डूंगरपुर(59%), बीकानेर(59%), उदयपुर(57%), भीलवाड़ा(56%), बूंदी(53%), धौलपुर(53%), टोंक(53%), बाड़मेर(52%) इस संबधं में आयुक्त, ईजीएस द्वारा निर्देशित किया गया कि पंचायत समिति स्तर पर अतिरिक्त कार्मिक लगाकर भुगतान संबंधित फीड़िग कार्य पूर्ण करवाया जावे। जेटीए द्वारा समय पर एमबी भरवाने का कार्य करवाया जावे। मस्टररोल की दोहरी व्यवस्था (Decoupling) जिसमें मूल मस्टररोल जेटीए के पास तथा एक प्रति डेटा फींडिग हेतु एमआईएस मैनेजर को उपलब्ध करवाई जावे ताकि मस्टररोल फींड़िग कार्य शीघ्र संपन्न हो सके। महात्मा गाधीं नरेगा सॉफ्ट के डेसबोर्ड पर कुल अनफिल्ड मस्टरोल, डिले एवं मेजरमेन्ट, डिले इन वेजलिस्ट जनरेशन, प्रथम/द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के स्तर पर विलम्ब की सूचना उपलब्ध है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन एमआईएस डेशबोर्ड पर उपलब्ध सूचना की जानकारी ली जाकर मॉनिटरिंग की जावे।

3. **नरेगा श्रमिकों के खाते–** नरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान हेतु दिनांक 16 जुलाई, 2015 से 31 जुलाई, 2015 तक विशेष अभियान चलाकर समस्त खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में संधारित किये जाने है। जिन महात्मा गाधीं नरेगा श्रमिकों के खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में हैं उनका भुगतान पोस्ट ऑफिस/सरकारी बैंकों से राष्ट्रीयकृत बैंकों में हस्तान्तिरत किया जावे। प्रधानमंत्री जन–धन एवं भामाशाह योजना अन्तर्गत खोले गये खातों को फ्रीज करवाकर भुगतान करवाया जावे।

4. **आधार कार्ड सींड़िग** :– योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों के आधार नम्बर की फींडिग हेतु विशेष प्रयास किये जावे। ईआईडी/आधार नम्बर बनवाने का कार्य दिनांक 16.07.2015 से अभियान के रूप में किया जावे।

5. अधिकतर जिलों में पूर्व वर्षों की व्यय राशि का समायोजन नहीं किया गया है। अतः माह जुलाई तक राशि का पूर्ण समायोजन करावें।

6. **व्यक्तिगत लाभ के कार्य**–योजनान्तर्गत कार्यो पर अब तक किये गये कुल व्यय के विरूद्ध कैटेगिरी–4 कार्यो पर मात्र 8% व्यय हुआ है। जबकि व्यक्तिगत लाभ के कार्यो पर 30 प्रतिशत तक व्यय किये जाने के निर्देश दिये गये है। अत्यधिक **कम व्यय वाले जिले–** कोटा (0%), भरतपुर (0%), डूंगरपुर (1%), अजमेर (1%), श्रीगंगानगर(1%), धौलपुर(1%), जालोर (1%), अलवर(2%), बूंदी(2%), हनुमानगढ़(2%), सिरोही (2%, पाली (2%) है तथा अन्य जिलों में भी प्रगति बहुत कम है। सभी जिलों में विशेष प्रयास के साथ कार्य करवाये जावे।

7. **कन्वर्जेन्स** :– योजनान्तर्गत कार्यो पर अब तक किये गये कुल व्यय के विरूद्ध कन्वर्जेन्स के कार्यो पर राज्य में मात्र 1% व्यय हुआ है। जबकि कन्वर्जेन्स के कार्यो पर अधिक से अधिक व्यय किये जाने के निर्देश दिये गये है।

   आयुक्त, ईजीएस द्वारा समस्त विभागों विशेषकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ कन्वर्जेन्स के माध्यम से कार्य किये जाने हेतु सख्त हिदायत दी गई। सावर्जनिक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग की योजनाओं के साथ भी कन्वर्जेन्स पर जोर दिया गया। आईडब्लूएमपी के तहत राशि रूपये 12000/–हैक्टयर के अतिरिक्त व्यय राशि महात्मा गाधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स के माध्यम से व्यय की जा सकती है जिसकी मॉनिटरिंग जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग द्वारा की जावेगी। इस हेतु पार्ट–1 एवं पार्ट–2 के अनुसार नवीन डीपीआर बनाते हुए सम्पूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र का विकास किया जावेगा।

8. लाईन विभाग :– लाईन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर योजनान्तर्गत कार्य करवाया जावे।

9. **कृषि एवं कृषि आधारित कार्यो पर व्यय**– भारत सरकार के निर्देशानुसार 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं कृषि आधारित कार्यो पर व्यय किया जाना है।

   आयुक्त, ईजीएस द्वारा अधिक से अधिक कृषि आधारित कार्यो को शामिल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

10. **प्रशासनिक व्यय** :– योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत ही है परन्तु अधिकांश जिलों में निर्धारित सीमा से अधिक प्रशासनिक व्यय किया जा रहा है। इस संबंध में समस्त जिलों द्वारा जेटीए का मानदेय मेटेरियल कम्पोनेन्ट में बुक कर एमआईएस पूल में से दिया जावे।

    जिन ग्राम पंचायतों में एलडीसी द्वारा ग्राम सेवक का कार्य किया जा रहा है। उन्हें पंचायती राज विभाग के माध्यम से वेतन दिया जावे। इस बिन्दु पर पंचायती राज परीक्षण कर आवश्यक निर्देश जारी करें।

11. **मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम** – आयुक्त, ईजीएस द्वारा निर्देशित किया गया कि मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम 30 जून तक क्रय कर रजिस्टर किया जाना था परन्तु कुछ जिलों की ग्राम पंचायतों में ही सिस्टम क्रय किये गये है। अतः एमएमएस हेतु चयनित समस्त जिले मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम क्रय कर शीघ्र रजिस्टर करावें। साथ ही समस्त जिलों में डाटा एन्ट्री हेतु आधार बेस्ड बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग सुनिश्चित करावें।

12. **शिकायतों का निस्तारण**– राज्य स्तर से जिलों को प्रेषित विभिन्न माध्यम से प्राप्त समस्त शिकायत प्रकरणों का निस्तारण पूर्ण करावें। इस हेतु विभागीय वेबसाईट nrega.raj.nic.in पर उपलब्ध नरेगा शिकायत ऑप्शन को नियमित रूप से चैक किया जावें।

13. **निरीक्षण** – सम्पर्क पोर्टल पर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड किये जाने का प्रावधान है इस संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ जिलों के डीपीसी एवं एडीपीसी द्वारा जिलों में किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की गई है। अतः समस्त अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण कर रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज करावें।

14. प्रोजेक्ट लाईफ :– योजनान्तर्गत जिन परिवारों में 100 पूरे कर लिये है उनके एक इच्छुक युवा सदस्य को चयनित कर शैक्षणिक योग्यता, कौशल आदि की जानकारी हेतु परिवारवार सर्वे प्रपत्र जो नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध भरकर भिजवायें जावें।
15. आईपीपी –II :– आईपीपी–। हेतु चयनित पंचायत समितियों में आईपीपी –।। के तहत श्रम बजट एवं लाईवलीहुड प्लान तैयार करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों की प्रति समस्त अधिकारियों को उपलब्ध करवाते हुए निर्देशित किया गया कि उक्तानुसार टाईम लाईन के अनुसार अविलम्ब कार्य संपादित किया जावे।
16. आयुक्त, ईजीएस द्वारा अवगत कराया गया कि निम्न बिन्दुओं पर जिलों की प्रगति संबंधित ग्रेडिंग की जावेगी। मानव दिवस सृजन, कन्वर्जेन्स, व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य, आधार सींडिग, कृषि संबंधित कार्य, समयबद्व भुगतान, उपयोगिता प्रमाण पत्र, वेयरफूट इंजीनियर, एमएमएस। अतः उक्त बिन्दुओं की प्रगति सुनिश्चित करावें।

    प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि तकनीकी कार्यो के निरीक्षण एवं वीएसआर संबंधी निर्णय हेतु राज्य स्तर तकनीकी स्तर पर कमेटी बनाई जावे।

आवास योजनाः–

1. आवास योजनाओं वर्ष 2011–2012 में स्वीकृत आवासों के 30 जून 2015 के बाद में अपूर्ण रहने को शासन सचिव महो. द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इन आवासों को पूर्ण करवाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा से कर्न्वेजेन्स, सीमेंट उत्पादक कम्पनीयों से सस्ती सीमेंट उपलब्ध कराना, स्थानीय बीआरपी व सीआरपी शिक्षा प्रेरकों आदि से सहयोग लेकर इन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
2. वर्ष 2015–16 के रजिस्ट्रेशन इसी माह पूर्ण कर सीबीएसई आधारित बैंकों में खाते नम्बर को फ्रिज करने व कुछ जिलों द्वारा नॉन सीबीएसई बैंकों में खाते खुलवाने को गंभीरता से लेकर अनिवार्य रूप से सभी खाते सीबीएसई आधारित बैंकों में खुलवाने के निर्देश दिये गये।
3. सभी जिलो को प्रशिक्षण हेतु योग्य, अकुशल श्रमिकों एवं राजमिस्त्रीयों जिनकों प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, की सूचीयॉ तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये।
4. सभी जिलों को अपने नजदीक स्थित सीमेंट फेक्ट्रियॉ जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वैबसाईट पर पंजीकृत है, से सम्पर्क कर उनके यहां से जिले के विभिन्न स्थानों पर माल–गोदाम (सरकारी/किराया) तक के भाड़े, माल गोदाम किराया व अन्य व्यवस्थाओं का आंकलन कर सम्यक प्रस्ताव तैयार कर गरीब आवास योजना के परिवारों को सस्ती सीमेंट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये।